रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 503] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 4, 2012/आश्विन 12, 1934
No. 503] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 4, 2012/ASVINA 12, 1934

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2012

सा.का.नि. 740(अ).—औद्योगिक उपक्रम का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञप्ति नियम, 1952 का और संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप नियम, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, में भारत सरकार की वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 624(अ) तारीख 8 अगस्त, 2012 द्वारा, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व, उनसे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित की गई थी ;

और उक्त अधिसूचना जनता को 8 अगस्त, 2012 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों पर कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए औद्योगिक उपक्रम का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञप्ति नियम, 1952 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औद्योगिक उपक्रम का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञप्ति (संशोधन) नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. औद्योगिक उपक्रम का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञप्ति नियम, 1952 के नियम 10 में उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" (2) केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक या अधिक समितियां नियुक्त कर सकेगी जैसे कि वह निम्नलिखित से बरतने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों या विभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उचित समझे,

(क) औद्योगिक नीति और संवर्धन ;

(ख) अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्योग;

(ग) गृह ;

(घ) वाणिज्य, महानिदेशक,- विदेश व्यापार ;

(ङ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग :

परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार, यदि वह उचित समझे, ऐसी समिति में किसी अन्य मंत्रालय या विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी अन्य सदस्य को शामिल कर सकेगी ।

[फा. सं. 7(1)/2012-आईपी]

शुभ्रा सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.नि.आ 1141 (अ) तारीख 9 जुलाई, 1952 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए,-

1. अधिसूचना संख्यांक का.नि.आ 1856 तारीख 1 अक्तूबर, 1953
2. अधिसूचना संख्यांक का.नि.आ 691 तारीख 1 मार्च, 1957
3. अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1781 तारीख 11 दिसम्बर, 1964
4. अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 2187 तारीख 6 दिसम्बर, 1968
5. अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 270(अ) तारीख 14 जून, 1974
6. अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 274 (अ) तारीख 19 जून, 1974
7. अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 284 (अ) तारीख 25 जून, 1974
8. अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 369 (अ) तारीख 17 अगस्त, 1974
9. अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 392(अ) तारीख 17 सितम्बर, 1974
10. अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 399 (अ) तारीख 23 सितम्बर, 1974
11. अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 599(अ) तारीख 15 नवम्बर, 1975
12. अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 719(अ) तारीख 26 सितम्बर, 1981
13. अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 66(अ) तारीख 14 फरवरी, 1984
14. अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 100(अ) तारीख 18 फरवरी , 1987
15. अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 926(अ) तारीख 3 दिसम्बर, 1993